

प्रेस नोट थाना बेलघाट दिनांक 28-07-2021

अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों तथा अवैध कच्ची शराब निष्कर्ण बिक्री पर पूर्णरूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के दिशा निर्देश में व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन व पुलिस उपाधीक्षक गोला के कुशल पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष श्री श्याम मोहन के निर्देशन में, उ०नि० श्री प्रवीण कुमार सिंह मय हमराह का० विपिन यादव, का० सर्वेश यादव द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त योगेन्द्र उर्फ योगी पुत्र स्व० झिनकू निवासी ग्राम रापतपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर को 20 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब व 1 किग्रा नौसादर व शराब बनाने का उपकरण, 02 स्टील का ड्रम व 02 अदद एल्युमिनियम का पतीला के साथ आज दिनांक 28.07.2021 को समय 04.15 बजे ग्राम रापतपुर के बाहर दियारा क्षेत्र से गिरफ्तार कर यथा मु०अ०सं० 116/2021 धारा 60 EX ACT व 272 IPC थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

- योगेन्द्र उर्फ योगी पुत्र स्व० झिनकू निवासी ग्राम रापतपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तारी का स्थान व समय

- दिनांक 28.07.2021 को समय 04.15 बजे ग्राम रापतपुर के बाहर दियारा क्षेत्र थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर।

बरामदगी का विवरण-

- 20 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब व 1 किग्रा नौसादर व शराब बनाने का उपकरण, 02 स्टील का ड्रम व 02 अदद एल्युमिनियम का पतीला।

गिरफ्तार करने वाले अधि०/कर्म०गण

1. उ०नि० प्रवीण कुमार सिंह
2. का० विपिन यादव
3. का० सर्वेश यादव